

RNS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

PRIVATE ITI

Jamshedpur

NCVT



ESTD. : 2012

PR20000171

DGET - 6/34/25-2012-TC

PROSPECTUS



OUR VISION

Be a premier institution envisioned to be a centre of excellence in the field of skill development programme that produce skilled, socially responsible and highly employable personnel.

OUR MISSION

To produce quality trainees who will be among the leading practitioners of their respective

OUR QUALITY POLICY

We are committed to make the institution a hallmark in the field of vocational training to enhanced the employability of the unemployed youth.

OUR QUALITY OBJECTIVES

To provide the highest quality of education and training, with service excellence, designed to meet customer requirements at all levels of our operations.

To explore and develop new training opportunities in order to enhance employability of the youth of nation.



Subodh Kumar

प्रशासक की कलम से

जमशेदपुर लौहनगरी औद्योगिक नगर कहलाता है जहाँ छोटे-बड़े अनगिनत कल-कारखाने लगे हैं। इनमें कुशल अनुभवी प्रशिक्षित कामगारों की आवश्यकता होती है। इन्हीं कामगारों के आधार पर उनका उत्पादन क्षमता निर्भर करता है जिनकी माँग देश-विदेश में अधिक से अधिक होती है। यहाँ के शिक्षित युवक-युवतियाँ इन्हीं प्रशिक्षण के अभाव में बेरोजगार रह जाते हैं और परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाते हैं। झारखण्ड के आदिवासी जनजाति, पिछड़ा वर्ग को सही प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण नौकरी से वंचित रह जाते हैं।

इसी उद्देश्य के मद्देनजर रखते हुए यह प्रशिक्षण संस्थान 2012 में स्थापित किया गया। वर्तमान में उद्योग-धंधों में कुशल प्रशिक्षित कामगारों की कमी होती है। इसलिए ऐसे प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता थी जिसमें गरीब से गरीब शिक्षित युवा वर्ग भी लाभ उठाने में सक्षम हो सकें।

संस्थान में फीटर, इलेक्ट्रीशीयन और डीजल मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ अनुभवी एवं वरिष्ठ अनुदेशकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः यहाँ प्रशिक्षण लेने वालों का सही दिशा निर्देश मिलेगा और अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे।

सुबोध कुमार
निदेशक एवं प्रशासक



आर.एन.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

क्रम	व्यवसाय	वार्षिक परीक्षा	अवधि
1	फिटर	02 (दो)	दो वर्ष
2	इलेक्ट्रीशियन	02 (दो)	दो वर्ष
3	डीजल मैकेनिक	01 (एक)	एक वर्ष

प्रशिक्षण

संस्थान का प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के एन.सी.भी.टी. (NCVT) के नार्म्स के अनुसार दिया जाता है तथा इसके सभी प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन भारत सरकार के नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। संस्थान में प्रतिवर्ष अगस्त माह से नये सत्र प्रारम्भ किये जाते हैं।

योग्यता


फिटर तथा डीजल मैकेनिक में नामांकन के लिए मैट्रिक तथा उसके उत्तीर्ण होना अनिवार्य तथा विद्युत (इलेक्ट्रीशियन) में नामांकन के लिए मैट्रिक की परीक्षा में गणित एवं विज्ञान में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

आवश्यक उम्र सीमा

नामांकन के लिए 1 अगस्त 201..... तक कम से कम 14 वर्ष होना अनिवार्य है।

सेमेस्टर परीक्षा

दो वर्ष कोर्स के लिए 02 (दो) तथा एक वर्ष कोर्स के लिए 01 (दो) परीक्षा DGE&T के द्वारा आयोजित की जाती है, यह परीक्षा प्रतिवर्ष जुलाई में होती है।





नामांकन

नामांकन हेतु आवेदन पत्र एवं विवरणिका (प्रोस्पेक्टस) संस्थान के कार्यालय में निर्धारित शुल्क रूपया 100/- भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। विवरणिका के साथ संलग्न विहित-प्रपत्र में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत आवेदित छात्र/छात्राओं को चयन हेतु लिखित एवं मौखिक जांच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। चयनित छात्र ही नामांकन ले सकते हैं।

नोट

नामांकन के बाद छात्र/छात्राओं के द्वारा भुगतान की गई राशि किसी भी परिस्थिति में न तो वापस किया जायेगा और न ही किसी अन्य छात्र/छात्राओं के नाम स्थानान्तरित किया जायेगा।

प्रशिक्षण शुल्क

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण के परीक्षा नियंत्रक विभाग द्वारा निर्धारित फीस प्रतिवर्ष सत्र के आरम्भ में जमा करवाना अनिवार्य है।

ड्रेस

संस्थान में नामांकित प्रशिक्षणार्थियों के लिए ड्रेस पहनना अनिवार्य है। ड्रेस के लिए संस्थान द्वारा निर्धारित विवरण इस प्रकार हैं -

फुल पैट	-	नेवी ब्लू
शर्ट	-	हल्की ब्लू
जूता	-	काला
बेल्ट	-	काला

शर्ट तथा पैन्ट की सिलाई संस्थान के द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप होना चाहिए।

“फिटर” के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल के समय “एप्रोन” पहनना अनिवार्य है तथा इसका खर्च भी उन्हें ही भुगतान करना होगा।






नामांकन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र :-

मैट्रिक अंक पत्र (Matric Marksheet)	-	7 प्रतियाँ (Xerox)
मैट्रिक प्रवेश पत्र (Matric Admit Card)	-	7 प्रतियाँ (Xerox)
मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र (Matric Original)	-	7 प्रतियाँ (Xerox)
विद्यालय परित्याग पत्र (School Leaving)	-	7 प्रतियाँ (Xerox)
आधार कार्ड (Adhar Card)	-	2 प्रतियाँ (Xerox)
फोटो (Photo)	-	7 पासपोर्ट, 1 गेट पास

Admission के समय सभी Original Certificate लाना अनिवार्य है।

छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक Online प्रमाण पत्र :-


- जाति प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक (प्रशिक्षणार्थी)
- आधार कार्ड






संस्थान के नियम एवं शर्तें

1. संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के एन.सी.भी.टी. (N.C.V.T.) के द्वारा निर्धारित सिलेबस के नियमानुसार चलाया जाता है।
2. प्रतिवर्ष अगस्त माह से नये सत्र प्रारंभ किये जाते हैं तथा संस्थान की परीक्षा भारत सरकार के नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सत्र की समाप्ति के उपरांत अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा, भारत सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा की तिथि एवं समय का निर्धारण भारत सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है।
3. नामांकित प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसाय बदलने या किसी अन्य को उनके जगह पर नामांकन करने की इजाजत नहीं दी जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों का उनके द्वारा भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में न तो वापस किया जायेगा और न ही किसी दूसरे विद्यार्थी के नाम ट्रांसफर किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों की संस्थान में 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
5. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी बगैर सूचित किए लगातार दस दिनों तक कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो इसका नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा पुनः 100/- नामांकन शुल्क जमा करने पर ही उसे कक्षा में बैठने की इजाजत दी जायेगी।





6. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी बिना सूचित किए दो माह तक कक्षा में अपुस्थित रहता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जायेगा तथा उनके द्वारा जमा की गयी राशि वापस नहीं होगी।
7. नामांकन तथा उसके बाद जमा की गयी राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी।
8. संस्थान का शुल्क निर्धारित समय पर देना अनिवार्य है अन्यथा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
9. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी संस्थान के नियम का उल्लंघन करता है तो उसका नाम संस्थान के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा उनके द्वारा जमा किया गया शुल्क किसी भी अवस्था में वापस नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थी को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
10. नामांकन हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थी का शारीरिक जाँच आवश्यक है। किसी छुआ-छुत से ग्रसित प्रशिक्षणार्थियों को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा नामांकन के समय जमा किये गए सभी अभिलेख पत्र सत्यापन हेतु बोर्ड/युनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं। किसी भी अभिलेख पत्र को असत्य पाये जाने पर उस प्रशिक्षणार्थी का नामांकन रद्द कर दिया जायेगा तथा उनके द्वारा जमा की गयी राशि वापस नहीं किया जायेगा।
12. छात्रों को प्रैक्टिकल सामान देने के बाद यदि सामान चोरी हो जाता है या खो जाता है या किसी कारणवश टूट जाता है तो उसके जिम्मेदार छात्र होंगे तथा इसकी भरपाई उन्हें ही करना होगा।





13. अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होना होगा तथा इसके सभी खर्च प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं देना होगा।
14. आधुनिक कम्प्यूटर लैब की सुविधा - छात्रों के बेहतर ट्रेनिंग के लिए एक अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब का निर्माण किया गया है जिसमें बच्चे कम्प्यूटर में बेहतर ट्रेनिंग लेकर अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सके।
15. परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों/छात्राओं को भारत सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यह सर्टिफिकेट संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाता है।
16. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान (तोड़-फोड़) पहुँचाता है तो उसके विरुद्ध अनुशानात्मक कार्रवाई की जायेगी तथा उसे ही नुकसान का भरपाई करनी होगी।
17. प्रशिक्षार्थियों को संस्थान के द्वारा निर्धारित ड्रेस पहन कर ही कक्षा में बैठने की इजाजत होगी। "फिटर" के छात्रों को ड्रेस के अतिरिक्त 'एप्रोन' पहनकर प्रैक्टिकल क्लास करने की इजाजत होगी।
18. प्रशिक्षणार्थियों के अपने वाहन की सुरक्षा उन्हें स्वयं करनी होगी। वाहन चोरी होने या गुम होने की स्थिति में संस्था इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
19. भारत/झारखण्ड बन्द या किसी प्राकृतिक आपदा या किसी विशेष परिस्थिति में संस्थान के संचालक छुट्टी की नोटिस दे सकते हैं।





संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों के लिए सुविधाएँ

1. संस्थान गोविन्दपुर रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड के नजदीक रहने के कारण आने जाने की उचित सुविधा उपलब्ध है।
2. **होस्टल में रहने की सुविधा** - प्रशिक्षणार्थियों के लिए होस्टल की उत्तम व्यवस्था है। जिसमें संस्थान का निर्धारित शुल्क जमा कर होस्टल में रहने की सुविधा है।
3. **प्राैक्टिकल की सुविधा** - प्रशिक्षण के समय विद्युत बाधित होने पर जनरेटर की सुविधा उपलब्ध है जिससे प्राैक्टिकल करने में कोई असुविधा नहीं होगी।
4. **कम्प्युटर लैब की सुविधा** - कम्प्युटर प्रशिक्षण हेतु आधुनिक लैब की सुविधा।
5. संस्थान में दैनिक पत्रिका एवं हर प्रकार की मैगजीन की व्यवस्था की गयी है।
6. **लाइब्रेरी की सुविधा** - संस्थान के प्रशिक्षार्थियों के लिए सभी ट्रेडों की पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। सामान्य ज्ञान एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तकों की भी व्यवस्था है। 500 से अधिक पुस्तकें लाइब्रेरी में उपलब्ध है।
7. **अवकाश** - प्रशिक्षार्थियों को पूरे प्रशिक्षण सत्र में कुल 24 दिन (प्रथम वर्ष 12 दिन तथा द्वितीय वर्ष 12 दिन) आकस्मिक छुट्टी देय होगा। प्रतिवर्ष 15 दिन मेडिकल लीव की सुविधा दी जाती है। पूरे सत्र में केवल एक बार विशेष मेडिकल लीव 42 दिन तक दी जा सकती है।
8. **छात्रवृत्ति** - आरक्षण कोटि के प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान के माध्यम से जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय द्वारा छात्रवृत्ति भी उपलब्ध है।
9. यह संस्थान शहर के शोरगुल से दूर प्रकृति की गोद में आधुनिक यंत्रों द्वारा सुसज्जित है जहाँ प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवश्यकता की सारी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।
10. संस्थान में प्रशिक्षण की अवधि प्रातः 8:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक है।
11. **Placement की सुविधा** - ट्रेनिंग की अवधि पूरा होने पर परिक्षार्थी Placement की परीक्षा में बैठ सकते हैं। इंस्टीच्यूट, जमशेदपुर तथा जमशेदपुर के बाहर के अच्छे-अच्छे कंपनियों को Placement के लिए बुलाती है तथा चयनित परिक्षार्थी को उस कंपनी में नौकरी दी जाती है।

राष्ट्र गान

जन-गन मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मराठा,
द्राविड़, उत्कल, बंगा।
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना-गंगा,
उच्छल जलधि तरंगा।
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशीष मांगे,
गाहे तब जय गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय-जय-जय-जय हे॥

इतनी शक्ति हमें देना दाता

इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर हो ना।
हम चले नेक रस्ते पे हमसे,
भूल कर भी कोई भूल हो ना॥
दूर अज्ञान के हों अंधेरे,
तू हमें ज्ञान की रोशनी दे।
हर बुराई से बचते रहें हम,
जितनी भी दे भली जिंदगी दे॥
वैर हो ना किसी का किसी से,
भावना मन में बदले की हो ना।
हम चलें नेक रस्ते पे हम से,
भूल कर भी कोई भूल हो ना॥
हम न सोंचे हमें क्या मिला है,
हम ये सोंचे किया क्या है अर्पण।
फूल खुशियों के बांटे सभी को,
सब का जीवन ही बन जाये मधुबन॥
अपनी करुणा का जल तू बहाकर
कर दे पावन हर एक मन का कोना।
हम चले नेक रस्ते पे हमसे,
भूल कर भी कोई भूल हो ना॥
इतनी शक्ति हमें देना दाता...



CONTACT WITH US :

Near Govindpur Railway Station,
P.O. - Gadra, P.S. - Parsudih,
East Singhbhum, Jamshedpur - 831004

E-mail : rnsit.jsr@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/rnsiti

Mobile : 9709766883

Website : www.rnsinstituteoftechnology.org